

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 19.09.2025

गौ तस्करी के आरोप में 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा पशुतस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलायें जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-369/2025 धारा 309(4) BNS व 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. राकेश गुप्ता 2. दीपक यादव को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.08.2025 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की 02 गाय और 01 बछिया को पिकअप पर लादकर लेकर चले जाने के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 369/2025 धारा 309(4) BNS व 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. राकेश गुप्ता पुत्र केदार गुप्ता निवासी वार्ड न0 13 तुम्कहा बाजार खलवा पट्टी थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार
2. दीपक यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव निवासी ग्राम कठार पोस्ट कठार थाना धनहा जनपद पश्चिमी चम्पारण बिहार

गिरफ्तारी की टीम

1. प्र0नि0 नीरज कुमार राय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 अंजय सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
3. का0 गौरव यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
4. का0 प्रवीण कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।